

भाग— IV

नोजल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	रतलाम जिले में रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
--	--

तिथि:— 10/12/2021
स्थान:— भोपाल।

(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal